

2018/00048

फरद अहकाम

आनंदी लाल बनाम सीताराम वर्मा

नाम न्यायालय

केस संख्या 17/2018

प्राप्य अर्थात् निषेधाज्ञा

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
01/6/18	<p>बकील प्रार्थी उपर बकील प्रार्थी की अन्वयिम अर्थात् निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय कदम खुली गई तथा पंजावली का अवलोकन किया गया। प्राप्य दर्ज रिपोर्ट से। आगामी प्रेसी तक उभय पक्षकारण को अनिमित्त अन्वयिम अर्थात् निषेधाज्ञा से इस कदम पाबंद किया जागा है कि वे निकासित शमि आ.सं.नं. 944, 945, 946, 947, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083 कुल मिला ॥ कुल रकम 6.00 लाख के ग्राम अणतपुरा घिमनपुरा तहसील पोंगु जिला जयपुर की ओरके वरिष्ठ की यथास्थिति बनाये रखे। इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 14/6/18 को चेक करे। नोटिस जारी है।</p>		
14/6/18	<p>आजयत पंजावली न्याय आगके कर कम कोर्ट ग्राम अणतपुरा (पंच) से चेक हुई बकील प्रार्थी पंजावली से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहे है तथा पंजावली को नोट चेक किया। पंजावली नोट चेक के आधार पर रिपोर्ट की जाती है पंजावली के सल सुभा के अर्थात् उभय पक्षों के कम है तथा कुल वाद के साथ रहे।</p>	<p>Not Press Ching Lit</p>	

सहायक कलक्टर  
चौमूं (जयपुर)

